

From

Most urgent 227/2016

State Public Information Officer-cum-
Joint Labour Commissioner
O/o Labour Commissioner, Haryana,
30 Bays Building, Sector-17,
Chandigarh.

To

1. Presiding Officer Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Ambala, Panipat, Rohtak, Faridabad-I/II/III, Gurgaon-I/II and Hisar.
2. Addl. Labour Commissioner, (NCR) Gurgaon.
3. Dy. Labour Commissioner, Panipat, Panchkula, Faridabad, Gurgaon- I&II, Hisar and Rohtak.
4. Dy. Director (IS&H) Ambala, Panipat, Faridabad, Gurgaon-I and Hisar.
5. Assistant Labour Commissioner, Ambala, Yamunanagar-I, Kurukshetra, Karnal, Rewari, Sonapat-I, Bahadurgarh, Bhiwani, Sirsa, Palwal, Kaithal, Jind and Mewat.
6. Assistant Director, (Industrial Safety and Health), Yamunanagar-I, Kurukshetra, Karnal, Mewat, Rewari, Sonapat-I, Rohtak, Bhiwani & Sirsa
7. Dy. Director (Industrial Health), Faridabad and Gurgaon-II
8. AD (IH cum C.S), Ambala, Panipat, Faridabad, Gurgaon and Hisar.
- ✓ A.D. (IT) Cell (H.Q) for uploading on department site.

No: RTI / 227/2016/ 32 481-534 Dated: 22/8/16

Subject: **Transfer of application u/s 6 (3) of RTI Act 2005. Sh. Kuldeep Singh**

Please find enclosed herewith an application of **Sh. Kuldeep Singh, House no, 1843, Sector- 26, Panchkula dated 1.08.2016.** received in this office 10.08.2016 is hereby transferred to you under section 6(3) of the RTI Act, 2005 for providing information related to **your office directly to the applicant within 7 days** under intimation to this office (**Copy enclosed**). Failing which you should be personally responsible for the delay in supplying the information to the appellant.

Treat it as most urgent.

Enclosed as above

State Public Information Officer-cum-
Joint Labour Commissioner
O/o Labour Commissioner, Haryana.
30 Bays Building, Sector-17,
Chandigarh.

Endst. No: RTI / 227/2016/

Dated:

A Copy of the above is forwarded to **Sh. Kuldeep Singh, House no. 1843, Sector- 26, Panchkula** with the request to make further correspondence for obtaining the requisite information to above mentioned offices.

-sd-
SPIO cum Joint Labour Commissioner
O/o Labour Commissioner, Haryana,
30 Bays Building, Sector-17, Chandigarh

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

सेवा में

- ✓ 1 श्रम आयुक्त, हरियाणा,
30 वेंज बिल्डिंग, सेक्टर-17
चण्डीगढ़।
- 2 निदेशक
कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण
हरियाणा, एस सी ओ नं 803 मनीमाजरा
पूटी 0, चण्डीगढ़।

यादी क्रमांक 11/36/2016-4श्रम
दिनांक 08.08.2016

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र-श्री कुलदीप सिंह,
मकान नं0-1843, सेक्टर-26, पंचकूला।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

SP10
JK
Dy. Secy/A
9/8/16
Dy. Secy/2
R.T.I

2. श्री कुलदीप सिंह, मकान नं0-1843, सेक्टर-26 पंचकूला से प्राप्त पत्र दिनांक 01.8.2016 द्वारा मांगी गई सूचना आप द्वारा दी जाती है। उक्त आदेश सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 6(3) के तहत प्रार्थी के आवेदन की मूल प्रति इस अनुषंग में साथ स्थानान्तरित की जाती है कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना सीधे प्रार्थी को उपलब्ध करवाते हुए सरकार को भी सूचित करें। प्रार्थी द्वारा भेजी गई 20/8/16 की फीस हरियाणा सिविल सचिवालय की नकदी शाखा में जमा करवा दी जाएगी।

बलजीत सिंह
अधीक्षक श्रम

कृते: प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

पृष्ठांकन क्रमांक 11/36/2016-4श्रम

दिनांक 08.2016

इसकी एक प्रति श्री कुलदीप सिंह, मकान नं0-1843, सेक्टर-26 पंचकूला को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु भेजी जाती है।

हस्ताक्षर
अधीक्षक श्रम

कृते: प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

सेवा में

Principal Secretary to Govt., Haryana,
Labour Department,
Haryana, Chandigarh.

कमांक

55 दिनांक 1-08-2016

विषय:-

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र।

श्रीमान जी,

निवेदन यह है कि प्रायः देखने में आता है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी अपनी या अपने पर आश्रित के द्वारा करवाए गए बिमारी के ईलाज के मैडिकल बिल अपने विभाग से Re-imbusement करवाता है तो मुख्य तौर पर उस सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने विभाग को **Essentiality Certificate** व ईलाज के दौरान किए गए खर्च का ब्यौरा सुचिबद्ध करके अपने विभाग को जमा करवाता है या प्रेषित करता है। जिस पर विभाग आगामी कार्यवाही करता है। आमतौर पर लेखा शाखाओं में कर्मचारी द्वारा जमा/प्रेषित किये गये उन कागजातों की मूल/वास्तिक प्रतियां बिल पास करवाने के लिए खजाना कार्यलय को जमा करवा दी जाती है तथा कर्मचारी द्वारा जमा/प्रेषित किए गए **Essentiality Certificate** व ईलाज के दौरान किए गए खर्च का ब्यौरा के कागजातों की छाया प्रतियां रिकार्ड हेतु लेखा शाखा में रखी जाती है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुझे आपके कार्यालय व आपके विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों की लेखा शाखाओं से निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध करवाई जावे:-

1. क्या आपके कार्यालय व आपके विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों की सभी लेखा शाखाओं में कर्मचारी द्वारा जमा/प्रेषित किए गए **Essentiality Certificate** व ईलाज के दौरान किए गए खर्च का ब्यौरा के कागजातों की छाया प्रतियां रिकार्ड में रखी जाती है।
क) यदि हां तो उन कार्यालयों की लेखा शाखाओं की सूची प्रदान की जावे जो यह रिकार्ड रखती है।
ख) यदि नहीं तो उन कार्यालयों की लेखा शाखाओं की सूची प्रदान की जावे जो यह रिकार्ड नहीं रखती है।
2. आपके कार्यालय द्वारा तथा आपके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा दिनांक 01.01.2009 से सूचना भेजने की तिथी तक कितने आउट डोर ईलाज के मैडिकल बिल (खुला चिकित्सा भत्ता व **Cronic disease** के मामलों को छोड़कर) झा किये गये सूची प्रदान की जावे अर्थात् एसे आउटडोर ईलाज के मैडिकल बिल झा करना जिसमें कर्मचारी फिक्सड मैडिकल भत्ता भी होता हो और आउटडोर ईलाज के मैडिकल बिल भी पास करवाता हो, कि सूचना प्रदान की जाये।
3. सूचना प्रदान की जावे कि किन कारणों से ये आउट डोर ईलाज के मैडिकल बिल झा किये गये।
4. सूचना प्रदान की जावे कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी आउट डोर ईलाज के मैडिकल बिल (खुला चिकित्सा भत्ता व **Cronic disease** के मामलों को छोड़कर) झा करवा सकता है। यदि हां तो सरकार द्वारा जारी किये गये ऐसे रूल/सूचना/पोलिसी की सत्याप्रति प्रदान की जावे।
5. सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने आश्रितों के मैडिकल बिल झा करवाये जाते हैं। कृपया सूचना प्रदान की जावे की आश्रित कौन हैं, परिभाषित करें।
6. यदि किसी सरकारी कर्मचारी के पिता केंद्र सरकार व राज्य सरकार (दोनों से) से पेंशन भोगी है, तो क्या ऐसे कर्मचारी के पिता, कर्मचारी के आश्रित माने जाएंगे? यदि हां तो तथ्यों के आधार पर सूचना उपलब्ध करवाई जावे। यदि नहीं तो तथ्यों के आधार पर सूचना उपलब्ध करवाई जावे। कृपया सूचना हिन्दी भाषा में प्रदान की जाये।

सलगन : भारतीय पोस्टल आर्डर मु० 20/-

206 - 288094

कुलदीप सिंह

(कुलदीप सिंह)

मकान न० 1843, सेक्टर, 26, पंचकुला।

9416166330

2/8/16

4L

02-8-16